

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025


पत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प धनेरिया

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी धनेरिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम धनेरिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 479 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल प्रारम्भ के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>धनेरिया</u>	<u>479</u>	<u>भागीरथ पुत्र नवलराम रेगट रहन - SBBJ-राजपुरा दरीबा</u>	<u>भागीरथ पुत्र नवलराम रेगट रहन - SBI-राजपुरा दरीबा</u>



पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा सहायक कलक्टर

दिनांक :- 10/10/25

क्रमांक- 280
प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार
 2. अनल दरानद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
 3. प्रार्थी श्री
 3. रक्षित पत्रावली।
- को सूचनार्थ।


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा सहायक कलक्टर